फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

रामलाल / सरकार

संख्या : 77/2019 (3191)

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20.6.25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। वाद वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 77/2019 वाद प्रस्तुति दिनांक –20.08.2019

रामलाल पुत्र हनुमान, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज०)।

.......वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. प्रभाती देवी पत्नी मांग्या
3. सुरेश पुत्र बाबूलाल
4. श्रीमती सरजू देवी पत्नी बाबूलाल
5 गोपाल पुत्र ग्यारसा
6 रामस्वरूप पुत्र ग्यारसा सर्व जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज.)।
7 बाबूलाल पुत्र रूघनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगललाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. सीताराम पुत्र हनुमान
9. श्यामसुंदर पुत्र ग्यारसा
10 मुकेश पुत्र ग्यारसा
11 जगदीश पुत्र हनुमान
12, बाबूलाल पुत्र हनुमान
समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज०)।
13. रामेश्वर पुत्र रूघनाथ
14 छीतर पुत्र रूघनाथ
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम नांगललाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
15. नाथूराम पुत्र गणेश
16. मालीराम पुत्र गणेश
17 भगवान सहाय पुत्र गणेश
18. भैरूराम पुत्र ईशरराम
19 रामकिशोर पुत्र नाथू
20 शान्ति देवी पत्नी रामनारायण उर्फ रामलाल
21. लादूराम पुत्र जेलाराम
22. लादूराम पुत्र जयनारायण
23. हनुमान पुत्र नारायण
24. जगदीश पुत्र नारायण
25 मुरलीधर पुत्र नारायण
26. बंशीधर पुत्र नारायण
समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज०)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

27 यू.टी.आई. बैंक जरिये शाखा प्रवन्धक, शाखा अशोक मार्ग, जयपुर, जिला जयपुर।
28. कॉर्पोरेशन बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जालसू, जिला जयपुर।
29. भारतीय स्टेट बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालवाड, जिला जयपुर।
30. भारतीय स्टेट बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा आमेर, जिला जयपुर।
31. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
32. आईडीबीआई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा विद्याधर नगर, जयपुर, जिला जयपुर।
33. जेटीजीबी बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा राधाकिशनपुरा, जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. **श्री कैलाश बागडा – अधिवक्ता वादी की ओर से**
2. **श्री श्याम व्यास– अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 27 की ओर से**
3. **श्री संजय शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 28 की ओर से**

दिनांक 14.06.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में वादी की खातेदारी भूमि हाल खाता संख्या 93, जिसके खसरा नम्बर 496 रकबा 2.90 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 2.90 हैक्टेयर, खाता संख्या 94 जिसके खसरा नम्बर 497 रकबा 3.55 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 3. 55 हैक्टेयर, खाता संख्या 95 जिसके खसरा नम्बर 498 रकबा 5.88 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 5.88 हैक्टेयर व वाके ग्राम यादवखेडा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षकक्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के खाता संख्या 28 के स्थित आराजी खसरा नम्बर 52/176 रकबा 1.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 3.24 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 4.83 हैक्टेयर, खाता संख्या 72 जिसके खसरा नम्बर 48/148 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49 रकबा 2.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 52 रकबा 1. 83 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 4.83 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 25 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामनारायण व रामलाल है जो उक्त [illegible] वादी का नाम उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 93 में रामलाल पुत्र हनुमान दर्ज है शेष खाता संख्या 94, 95 व ग्राम यादवखेडा के खाता संख्या 28 व 72 में वादी का नाम सहवन से रामनारायण पुत्र हनुमान दर्ज है। जबकि सभी दस्तावेजों में वादी का नाम रामलाल पुत्र हनुमान दर्ज हैं तथा वादी को आमजन में रामलाल पुत्र हनुमान के नाम से ही जाना एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

पहचाना जाता हैं। अतः उक्त रामनारायण पुत्र हनुमान नाम अशुद्ध हैं, जिसके स्थान पर रामलाल पुत्र हनुमान नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना न्यायोचित है। वादी का असली व पहचान का नाम रामलाल पुत्र हनुमान हैं तथा समाज व परिवार में भी इसी नाम से जाना जाता हैं, लेकिन राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश रामनारायण पुत्र हनुमान दर्ज हो गया, जिससे वादी को काफी परेशानीयों का सामना करना पडता है तथा सरकारी विभागो में, नाम की भिन्नता होने से पहचान भी स्पष्ट नही हो पा रही हैं तथा अपनी राजस्व भूमियों में खाता संख्या 93 को छोडकर शेष राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामनारायण पुत्र हनुमान होने से ऋण लेने में भी परेशानी का सामना करना पड रहा है। जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 को प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.2019 को पेश किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नाम दुरूस्त करवाने का आश्वासन दिया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी का नाम दुरूस्त नहीं किया जाकर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु कहा। इसलिए उक्त वाद पेश करना लाजमी हुआ है। यह कि ऐसे में यह न्यायोचित आवश्यक है कि वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित खातेदारी भूमियों में वाके ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा के खाता संख्या 93 को छोडकर शेष राजस्व रिकॉर्ड में तथा ग्राम यादवखेडा के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामनारायण पुत्र हनुमान के स्थान पर रामलाल पुत्र हनुमान की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावें। अतः वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के खाता संख्या 94, 95 व ग्राम यादवखेडा के खाता संख्या 28 व 72 में वादी का नाम रामनारायण पुत्र हनुमान के स्थान पर रामलाल पुत्र हनुमान की घोषणा की जावे तथा तदनुसार इन्द्राजात दुरूस्ती की जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावें कि वादी का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 26 को अनेक अवसर देने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 16:41:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार आमेर हाल तहसील जालसू जयपुर की ओर से जवाब पेश हुआ जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी रामलाल पुत्र हनुमान सहाय निवासी यादवखेड़ा वर्तमान खाता संख्या 77 में रामनारायण पुत्र हनुमान हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कागजात आधारकार्ड, राशनकार्ड के अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम रामलाल पिता हनुमान है। मजमेआम में तैयार फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार रामलाल पुत्र हनुमान एवं रामनारायण पुत्र हनुमान दोनों एक ही व्यक्ति है। उपलब्ध

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

कागजात जमाबन्दी, आधारकार्ड, राशनकार्ड फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम शुद्धिकरण की अनुशंषा की जाती है। वाद पत्र में दिये गये ग्राम राधाकिशनपुरा के खाता संख्या 94 एवं 95 ग्राम यादवखेडा के खाता संख्या 28, 77 में प्रार्थी का नाम रामनारायण पुत्र हनुमान के स्थान पर रामलाल पुत्र हनुमान किया जाने की अनुशंषा की जाती है।

प्रतिवादी संख्या 27 ने जवाब दावा पेश कर कथन किया कि प्रारम्भिक आपत्तियों अंकित कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 प्रभाती देवी पत्नि मॉग्या, जाति–बागडा ब्रहामण, निवासी–गांव–राधाकिशनपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर ने प्रतिवादी संख्या 27 एक्सिस बैंक लि., से कृषि ऋण प्राप्त किया था तथा प्रतिवादी संख्या 2 प्रभाती देवी पत्नि मॉग्या, जाति–बागडा ब्रहामण, निवासी गांव–राधाकिशनपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर ने अपनी आराजी कृषि भूमि ग्ग्रम–राधाकिशनपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर के खसरा संख्या 496 कुल खसरा 1. क्षेत्रफल 2.90, खसरा संख्या 497 कुल खसरा 1 क्षेत्रफल 3.55, खसरा संख्या 498 कुल खसरा 1. क्षेत्रफल 5.88 में अपना हिस्सा एक्सिस बैंक लि.. शाखा अशोक मार्ग, जयपुर के समक्ष बतौर प्रतिभूति रहन रखा था। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड में उक्त नामान्तकरण का इन्दराज हो चुका है। इस प्रकार उक्त वर्णित भुमि में प्रतिवादी संख्या 27 का अधिकार बतौर रहननामा हो चुका है। जिसको सुरक्षित रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 2 प्रभाती देवी पत्नि मॉग्या, जाति–बागड़ा ब्रहामण, निवासी–गांव–राधाकिशनपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर की भूमि एक्सिस बैंक लिमिटेड, शाखा अशोक मार्ग, जयपुर के नाम रहन होने के कारण वादी, प्रतिवादी संख्या 27 के विरुद्ध किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है जब तक कि उक्त भुमि प्रतिवादी संख्या 27 के यहां से रहन मुक्त नहीं कर दी जाती है अन्यथा बैंक के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 प्रभाती देवी पत्नि मॉग्या, जाति–बागड ब्रहामण, निवासी–गांव–राधाकिशनपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर भी पार्टी है तथा उसकी भूमि एक्सिस बैंक लिमिटेड के नाम रहन होने के कारण एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकारों को सुरक्षित रखे जाना भी आवश्यक है। इस वाद पत्र के निर्णय से एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो एक्सिस बैंक लिमिटेड को इस वाद पत्र पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:58 IST
Reason: SelfAttested

जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 28 की ओर से प्रस्तत कर अंकित किया कि वाद मद संख्या 3 में वर्णित खसरा नम्बर में वादी का नाम रामनारायण पुत्र हनुमान दर्ज है। शेष तथ्य वादी स्वयं साबित करें। वाद पत्र के मद संख्या 4 जिस प्रकार वर्णित है अस्वीकार है। उक्त वाद में प्रतिवादी को दावें की कॉपी के अतिरिक्त अन्य कोठ दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए, ऐसे में किन–किन दस्तावेजों में वादी का क्या नाम

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

दर्ज है, उनका विस्तृत जवाब दिया जाना संभव नहीं है। शेष तथ्य वादी स्वयं साबित करें। वाद पत्र के मद संख्या 5 जिस प्रकार वर्णित है अस्वीकार है। उक्त मद में वर्णित तथ्य प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रतिवादी को प्राप्त नहीं हुये। शेष तथ्य वादी स्वयं साबित करें। वाद पत्र के मद संख्या 6 जिस प्रकार वर्णित है अस्वीकार है। उक्त मद में परिवादी से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया। अतः प्रतिवादी संख्या 28 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त जवाब दावें को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रतिवादी संख्या 28 की हद तक दावें को खारिज किये जाने की कृपा करें।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में ग्राम राधाकिशनपुरा के खाता संख्या 28, 93, 94, 72 संवत 2072, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र रामलाल फोटो प्रति, आधार कार्ड रामलाल शर्मा फोटो प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा का प्रमाण पत्र पेश किया।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की मौखिक बहस सुनी गई हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। वादी का मुख्य कथन रहा कि वादपत्र के मद संख्या 2 में अंकित भूमियो के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामनारायण व रामलाल है जोकि विवादग्रस्त है। राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 93 में रामलाल पुत्र हनुमान दर्ज है शेष खाता संख्या 94, 95 व ग्राम यादवखेडा के खाता संख्या 28 व 72 में वादी का नाम सहवहन से रामनारायण पुत्र हनुमान दर्ज है जबकि सभी दस्तावेजों में वादी का नाम रामलाल पुत्र हनुमान दर्ज हैं तथा वादी को आमजन में रामलाल पुत्र हनुमान के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाता है। अतः रामनारायण पुत्र हनुमान नाम अशुद्व हैं, जिसके स्थान पर रामलाल पुत्र हनुमान नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे।

हमने प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार आमेर हाल तहसील जालसू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें अंकन किया है कि *"वादी रामलाल पुत्र हनुमान सहाय निवासी यादवखेड़ा वर्तमान खाता संख्या 77 में रामनारायण पुत्र हनुमान हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कागजात आधारकार्ड, राशनकार्ड के अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम रामलाल पिता हनुमान है। मजमेआम में तैयार फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार रामलाल पुत्र हनुमान व रामनारायण पुत्र हनुमान दोनों एक ही व्यक्ति है। उपलब्ध कागजात जमाबन्दी, आधारकार्ड, राशनकार्ड व मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम शुद्धिकरण की अनुशंषा की जाती है। वाद पत्र में दिये गये ग्राम राधाकिशनपुरा के खाता संख्या 94 एवं 95 ग्राम यादवखेडा के खाता संख्या 28, 77 में प्रार्थी का नाम रामनारायण पुत्र हनुमान के स्थान पर रामलाल पुत्र हनुमान किया जाने की अनुशंषा की जाती है।"* अतः तहसीलदार जालसू जयपुर की अनुशंसा के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

वाद वादी डिक्री किया जाता है उक्त अनुसार वाद के मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर के खाता संख्या 94, 95 व ग्राम यादवखेडा के खाता संख्या 28 व 72 में वादी का नाम रामनारायण पुत्र हनुमान के स्थान पर दुरूस्त किया जाकर रामलाल पुत्र हनुमान घोषित किया जाता है। तदअनुसार तहसीलदार जालसू जयपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

वाद प्रस्तुति दिनांक – 20.08.2019

नियमित वाद संख्या – 77/2019

रामलाल पुत्र हनुमान, जाति बाग़डा ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज०)।

.......वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. प्रभाती देवी पत्नी मांग्या
3. सुरेश पुत्र बाबूलाल
4. श्रीमती सरजू देवी पत्नी बाबूलाल
5 गोपाल पुत्र ग्यारसा
6 रामस्वरूप पुत्र ग्यारसा सर्व जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज.)।
7 बाबूलाल पुत्र रूघनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगललाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. सीताराम पुत्र हनुमान
9. श्यामसुंदर पुत्र ग्यारसा
10 मुकेश पुत्र ग्यारसा
11 जगदीश पुत्र हनुमान
12. बाबूलाल पुत्र हनुमान
समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज०)।
13. रामेश्वर पुत्र रूघनाथ
14 छीतर पुत्र रूघनाथ
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम नांगललाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
15. नाथूराम पुत्र गणेश
16. मालीराम पुत्र गणेश
17 भगवान सहाय पुत्र गणेश
18. भैरूराम पुत्र ईशरराम
19 रामकिशोर पुत्र नाथू
20 शान्ति देवी पत्नी रामनारायण उर्फ रामलाल
21. लादूराम पुत्र जेलाराम
22. लादूराम पुत्र जयनारायण
23. हनुमान पुत्र नारायण
24. जगदीश पुत्र नारायण
25 मुरलीधर पुत्र नारायण
26. बंशीधर पुत्र नारायण
समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज०)।
27 यू.टी.आई. बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा अशोक मार्ग, जयपुर, जिला जयपुर।
28. कॉर्पोरेशन बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जालसू, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

29. भारतीय स्टेट बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालवाड, जिला जयपुर।
30. भारतीय स्टेट बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा आमेर, जिला जयपुर।
31. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
32. आईडीबीआई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा विद्याधर नगर, जयपुर, जिला जयपुर।
33. जेटीजीबी बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा राधाकिशनपुरा, जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाके ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर के खाता संख्या 94, 95 व ग्राम यादवखेडा के खाता संख्या 28 व 72 में वादी का नाम रामनारायण पुत्र हनुमान के स्थान पर दुरूस्त किया जाकर रामलाल पुत्र हनुमान घोषित किया जाता है। तद्अनुसार तहसीलदार जालसू जयपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 20.06.2025 को जारी किया ।

दस्तखत———

ओहदा———

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रूपये 2 रूपये 4 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रूपये 2 रूपये 4 रूपये	–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर